निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या 28 / 2002 तारीख दायरा 08.05.2002

उनवान

1. लाडबाई पुत्री कल्याण जरिये कायम मुकाम–

   1/1 श्यामबिहारी पुत्र बाबूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी मौखापाडा पलायथा हाउस कोटा।

   1/2 श्रीमती विजय लक्ष्मी पुत्री बाबूलाल पत्नि सुभाष जाति ब्राहम्ण निवासी म.न. 698 सेक्टर न.7 केशवपुरा कोटा।

   1/3 श्रीमती कृष्णा पुत्री बाबूलाल पत्नि त्रिलोक पिपलिया रोड ईटावा जिला कोटा।

2. कमलेश कुमारी पुत्री कल्याण जाति ब्राहम्ण निवासी राजगढ तहसील सांगोद।

– वादीगण

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र कल्याण जाति ब्राहम्ण।
2. तेजमल पुत्र कल्याण जाति ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम राजगढ तहसील सांगोद कोटा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद । – प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,54,88,188 आर टी एक्ट में दिनांक 22.2.2021 को वादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र ओदश 7 नियम 14 व धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थित :–

श्री नरेन्द्र कुमार विजय (वकील वादीगण) दिनांक :– 22.03.2021

श्री महेश कुमार तिवारी (वकील प्रतिवादीगण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2022.02.17 15:19:35 IST
Reason: SelfAttested

––:: निर्णय ::––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि प्रार्थीया एवं प्रार्थीया की सगी बहन स्व. लाडबाई

वादग्रस्त कृषि भूमियों में प्रतिवादी सं.1 व 2 ने काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादग्रस्त कृषि भूमियों की स्व. कल्याण जी द्वारा दिनांक 5.2.1993 को उनके पक्ष में वसीयत करना बताकर प्रार्थीनी का नाम वादग्रस्त आराजी से निरस्त करवाकर अपने खाते दर्ज कराने की घोषणा की डिक्री किये जाने की सहायता की मांग की है। प्रतिवादीगण के पक्ष में कल्याण जी द्वारा आलेखित तथाकथित वसीयत दिनांक 5.2.1993 को अपने जवाबुल जवाब में कल्याण जी द्वारा निष्पादित नहीं करना एवं प्रतिवादीगण द्वारा स्वरचित फर्जी दस्तावेज तैयार करना आलेखित किया है। प्रार्थीया द्वारा जिला अभिलेखागार के पुराने राजस्व रेकार्ड ग्राम राजगढ का इन्तकाल सं. 421 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 9.2.2021 प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के न्यायालय से पारित विभाजन की डिक्री मिसल न. 20/83 से ग्राम राजगढ की 17 बीघा 17 बिस्वा भूमि शांति बाई जोजे कल्याण जी के खाते दर्ज हुई है। उक्त जानकारी होने पर प्रार्थीया ने जिला अभिलेखागार से मिसल न. 20/83 की आदेशिकायें, वाद पत्र, जवाबदावा व बयान गवाहान की प्रमाणित प्रतिलिपियां दिनांक 16.2.2021 को प्राप्त की। उक्त प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने पर प्रार्थीया व प्रतिवादी स. 1 व 2 के पिता रामकल्याण जी के विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 व 2 व रामकल्याण जी की पत्नि शांति बाई द्वारा विभाजन का दावा करने पर उसमें रामकल्याण जी ने जवाब दावा 27.3.1984 को पेश किया था जिसमें दो स्थान पर प्रार्थीया के पिता रामकल्याण जी के हस्ताक्षर हो रहे हैं। उक्त दावे में स्व. रामकल्याण जी ने 26.7.1985 को अपने बयान दर्ज करवाये थे जिसमें भी दो स्थानों पर उनके हस्ताक्षर हो रहे हैं।

प्रतिवादी सं.2 द्वारा प्रार्थीया के पिता स्व. कल्याण जी द्वारा दिनांक 5.2.1993 को तथाकथित वसीयत प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पक्ष में आलेखित करना बताकर तथाकथित वसीयत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रखी है जिसके आधार पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 संपूर्ण आराजी को अपने खाते दर्ज करवाने की घोषणा चाहते हैं। तथाकथित वसीयत दिनांक 5.2.1993 को प्रार्थीया ने फर्जी कूटरचित दस्तावेज होना आलेखित किया है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा न्यायालय रामगंजमण्डी में प्रस्तुत वाद पत्र सं. 20/83 में जवाबदावे व बयान में प्रार्थीया के पिता ने 4 जगह अपने हस्ताक्षर रामकल्याण के नाम से कर रखे हैं उक्त हस्ताक्षर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत तथाकथित वसीयत दिनांक 5.2.1993 में अंकित कल्याण जी के हस्ताक्षर के कतई नहीं मिलते। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने प्रार्थीया व अन्य को स्व. रामकल्याण जी की वादग्रस्त संपत्ति से महरूम करने के लिए तथाकथित वसीयत फर्जी कूटरचित तैयार की है। माननीय न्यायालय में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत तथाकथित वसीयत 5.2.1993 की सत्यता व विश्वसनीयता की जांच के लिए प्रार्थीया निम्न दस्तावेज जो अभिलेखागार की प्रमाणित प्रतिलिपियां है जो प्रस्तुत करना चाहती है ताकि माननीय न्यायालय को न्याय निर्णय करने में सहायता मिल सके—

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2022.02.17 15:19:35 IST
Reason: SelfAttested

2. वाद पत्र शांति बाई बनाम रामकल्याण दिनांक 19.3.1983 की प्रमाणित प्रतिलिपि मि.न. 20/83।
3. जवाब दावा मि.न. 20/83 जो रामकल्याण जो दिनांक 27.3.1984 को प्रस्तुत किया।
4. प्रमाणित प्रतिलिपि बयान रामकल्याण जो मि.न. 20/83 में दिनांक 26.7.1985 को दर्ज करवाये।
5. प्रमाणित प्रतिलिपि इंतकाल न. 421 दिनांक 5.3.1987 ग्राम राजगढ।

उक्त दस्तावेज के बाबत दिनांक 9.2.2021 को इंतकाल सं. 421 की प्रमाणित प्रतिलिपि जिला अभिलेखागार से प्राप्त करने पर उक्त प्रमाणित प्रतिलिपियां दिनांक 16.2.2021 को प्राप्त करने पर जानकारी हुई वाद प्रस्तुत करने बयान दर्ज करवाने के वक्त उक्त दस्तावेजात के बारे में प्रार्थीया को कोई जानकारी नहीं थी उक्त दस्तावेजात सरकारी रेकार्ड का भाग है जिसकी सत्यता बिल्कुल भी संदिग्ध नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त दस्तावेजात रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश पारित किये जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्न प्रकार हैं–

वादीगण को उक्त वादपत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किये करीब 10 वर्ष हो गये तथा राजगढ के इन्तकाल नं. 421 की प्रमाणित प्रतिलिपी वादी क्रं. 2 के द्वारा सामान्य रूप से अभी दिनांक 02.02.2021 को प्राप्त की जिसे वह दावा प्रस्तुत करने पूर्व भी प्राप्त कर सकती थी। तथा जिससे जानकर अन्य दस्तावेजात की नकलें उसी समय प्राप्त कर सकती थी। स्वर्गीय कल्याण जी की दिनांक 05.02.1993 की वसीयत के आधार पर प्रतिवादी 1,2 सम्पूर्ण आराजीयात को अपने खाते दर्ज करवाने की घोषणा चाहते है। तक तथ्य स्वीकार्य है शेष तथ्य अस्वीकार है। स्वर्गीय कल्याण जी द्वारा रिकार्ड में कल्याण नाम दर्ज होने से हस्ताक्षर में कल्याण ही लिखा है। जबकि वसीयत निष्पादित करने के 10 वर्ष पूर्व के जिन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर है वह रामकल्याण है। किन्तु दोनों हस्ताक्षर स्वर्गीय कल्याण जी द्वारा ही किये गये है। केवल इस आधार पर वसीयत को कूटरचित फर्जी नहीं माना जा सकता है कि उसे जगह अलग–अलग हस्ताक्षर हैं जबकि उक्त वसीयत के दो स्वतंत्र साक्षी [illegible]क्षित हुये है जिन्होनें वसीयत को प्रमाणित किया है। कानूनन आदेश 7 नियम जा.दी. के प्रावधानानुसार वादी को जिन दस्तावेजों पर दावा आधारित है वे दस्तावेजात दावे के साथ पेश करने होते है अथवा उनको बाद में प्राप्त होने पर पेश करना हो तो फर्द दस्तावेज में उनका वर्णन किया जाना होता है। किन्तु वादीगण द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अब दावा 13 वर्ष से अधिक समय से अन्तिम बहस में चल रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2022.02.17 15:19:35 IST
Reason: SelfAttested

आसानी से अब प्राप्त की है तथा जिससे जानकारी होने पर अन्य दस्तावेजों की नकले प्राप्त की है। वे सब आसानी से दावा पेश करने के पूर्व भी प्राप्त की जा सकती थी तथा उन्हें अपने बयान में प्रदर्श भी करवा सकती थी। जो कि उन्हे कानूनन दावा पेश करते समय पेश करना चाहिये था अब वादी को उक्त दस्तावेज पेश करने का कोई वैद्य अधिकार नहीं होने से तथा न्याय विलम्बित करने की बदनीयती होने से उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है एवं निरस्तनीय है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर वकील अधिवक्ताओं द्वारा प्रार्थना पत्र हेतु बहस की गई। मेरे द्वारा अधिवक्ता उभयपक्ष की बसह सुनी गई। मेरे द्वारा अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया तथा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का सूक्ष्म अवलोकन किया गया। जहां तक प्रतिवादीगण का यह कथन है कि वादिनी द्वारा न्याय मिलने में देरी के उद्देश्य से यह दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं तो वादी एवं प्रतिवादीगण को 15 दिवस में जो भी कार्यवाही चाहते हैं एवं जो भी शेष प्रकिया है वह पूर्ण करानी होगी ताकि पत्रावली में निर्णय में विलम्ब न हो। पत्रावली डे–टूडे (प्रतिदिन) सुनवाई पर रखी जावें। दस्तावेजों का अवलोकन करने बहस अधिवक्ता सुनने पर प्रतीत होता है कि प्रस्तुत दस्तावेज न्यायिक निर्णय को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। यदि कोई भी दस्तावेजात जो कि नीतिसंगत एवं स्पष्ट निर्णय लेने में सहयोग करे तथा संपूर्ण न्याय निर्णय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हो तो न्यायालय को उन्हें किसी भी स्तर पर स्वीकार करना चाहिए एवं ऐसा करने का न्यायालय को पूर्ण अधिकार है कि वह इस प्रकार के किसी भी दस्तावेज को प्रकरण की किसी भी स्टेज पर स्वीकार कर सकता है।

अतः नीतिगत एवं न्यायिक दृष्टि से वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से 500 रू. की कोस्ट पर प्रार्थना पत्र स्वीकर किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रेकार्ड पर लिया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2022.02.17 15:19:35 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 22.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।